राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1633/2014/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–तृतीय, प्रतिकरापवचंन,भिवाडी,अलवर अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रामायण इस्पात प्रा.लि.
खुशखेडा, अलवर प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित

श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक : 17.07.2017

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवचंन, भिवाडी (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 75/आरवैट/2013–14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 25.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विकय कर अधिनियम, 1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,06,890/–को अपास्त किया है।

प्रकरण के के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा को वाहन संख्या डीएल–1–एम/4842 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल एम.एस.स्क्रेप के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बीजक क्रमांक 112 दिनांक 13.03.2013 एवं जी आर नम्बर 923 दिनांक 13.03.2013 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच पर पाया गया कि वाहन में लदा माल कर योग्य एवं अधिसूचित माल है, जिसके परिवहन के समय पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न होना आज्ञापक है। वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में बताया गया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 गाडी में उपलब्ध था किन्तु वैट–47 गाडी के डेस बोर्ड में रख हुआ था और उसकी चाभी खलासी के पास थी, इस कारण वाहन चालक द्वारा वक्त चेंकिंग दस्तावेज मांगे जाने पर घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2442414 प्रस्तुत नहीं कर सका और जवाब के साथ उसे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे आमान्य कर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए करापवचंन की

दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना मानकर माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,08,890/– आरोपित कर दी। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित किया जा रहा माल अधिसूचित की माल की श्रेणी में होने के कारण उसके साथ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा पत्र वैट–47 होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नही होने कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,06,890/–आरोपित की, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपीलधीन आदेश दिनांक 25. 02.2014 पारित किया है,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय को उद्धरित करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपील सुनवाई के समय कोई भी उपस्थित नही हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकतरफा निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया ।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 14.03.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा को वाहन संख्या डीएल–1–एम/4842 को चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल एम.एस.स्क्रेप के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बीजक क्रमांक 112 दिनांक 13.03.2013 एवं जी आर नम्बर 923 दिनांक 13.03.23013 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच पर पाया गया कि वाहन में लदा माल कर योग्य एवं अधिसूचित माल है,जिसके परिवहन के समय पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न होना आज्ञापक है। वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ

नोटिस की पालना में में बताया गया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 गाडी में उपलब्ध था किन्तु वैट–47 गाडी के डेस बोर्ड में रखा हुआ था और उसकी चाभी खलासी के पास थी, इस कारण वाहन चालक द्वारा वक्त चेंकिंग दस्तावेज मांगे जाने पर घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2442414 प्रस्तुत नहीं कर सका और जवाब के साथ उसे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे आमान्य कर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए करापवचंन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना मानकर माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,08,890/– आरोपित कर दी, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

प्रकरण के तथ्यों से उजागर होता है कि वक्त चेकिंग पाया गया परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, नोटिस जारी की करने की दिनांक 14.03.2013 अर्थात चेकिंग दिनांक 14.03.2013 को ही जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत कर दिया गया था तथा दस्तावेजों के साथ उसे प्रस्तुत ना करने के सम्बन्ध में तथ्यों को उजागर किया गया था। घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक 2442414 कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज संख्या 6 पर दो प्रतियों में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत नहीं किये जाने में सद्भाविक (**bonafide**) भूल है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में शास्ति आरोपण उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

उक्त समान तथ्यों के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरणों में प्रतिपादित मत के सारगर्भित अंशों को उद्धृत किया जाना समीचीन है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

"The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite

document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2014 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य